(62)

संख्या 103 /उन्तीस(2)11–2(218पे0)/2000

प्रेषक,

जी0 बी0 ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 25 जनवरी, 2012

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सैक्टर ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ की गंगोलीहाट ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2069/नियोजन अनुभाग/ धनावंटन प्रस्ताव/46 दिनांक 29.08.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1662/ उन्तीस (2)/05 –2 (218पे0)/2000 दिनांक 03 फरवरी, 2006 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की गंगोलीहाट ग्राम समूह पेयजल योजना अनु0लागत ₹ 1279.45 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा शासनादेश संख्याः 728/उन्तीस (2)/06–2(218पे0)/2002 दिनांक 24.03.2006 द्वारा ₹ 20.00 लाख, शासनादेश संख्या 1950/उन्तीस (2)/07–2 (71पे0)/2007 दिनांक 28.09.2007 द्वारा ₹ 250.00 लाख, शासनादेश संख्या 313/ उन्तीस (2)/10–2 (111पे0)/2009 दिनांक 15.03.2010 द्वारा ₹ 54.40 लाख की धनराशि योजना के निर्माण हेतु अवमुक्त की गई है। पूर्व अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाने के फलस्वरूप योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़ मात्र) के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता दो समान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 90 प्रतिशत व्यय हो जाने पर ही द्वितीय किश्त की धनराशि आहरित की जायेगी।

(ii) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी तथा यथा समय बी0एम0–08 व बी0एम0–13 पर विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) सम्बन्धित योजना की लागत में यदि कोई परिवर्तन निगम द्वारा किया गया हो तो उससे तत्काल शासन को अवगत कराया जाय तथा निगम यह सुनिश्चित एवं प्रमाणित कर लेगा कि पूर्व अवमुक्त धनराशि में कोई भिन्नता नहीं है एवं यह भी सुनिश्चित कर लेगा कि यदि पूर्व अवमुक्त धनराशि वर्णित राशि से अधिक है तो व्यय स्वीकृत लागत की सीमा तक ही किया जायेगा एवं शेष राशि समर्पित की जायेगी।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटन के अनुसार ही किया जायेगा ओर किसी अन्य योजना पर व्यावर्तन अपने स्तर से नहीं किया जायेगा।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोग प्रमाण–पत्र (Utilization Certificate) शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(vi) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(vii) निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

क्रमशः——2——पर——

(viii) योजनाओं/कार्यों पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत आगणन नार्म है। स्वीकृत आगणन से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(x) योजनाओं की स्वीकृति से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्ते यथावत् रहेंगी।

(xi) कराये जाने वाले कार्यों पर वित्त(वि0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

(xii) कार्य के क्रियान्वयन एवं निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन कड़ाई से किया जाय।

(xiii) योजना पर धनावंटन से सम्बन्धित निर्गत पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्ते यथावत रहेंगी।

(xiv) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV– 219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय/कार्य कराते समय कढ़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लेखानुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "4215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम– 03–ग्रामीण पेयजल सैक्टर–00–35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे" डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 36/XXVII(2)/2012 दिनांक 23 जनवरी 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जी0 बी0 ओली)
संयुक्त सचिव

संख्या 103(1) /उन्तीस(2)12–2(218पे0)/2000 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 पेयजल मंजी जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2–निजी सचिव–मुख्य सचिव,को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3–निजी सचिव–प्रमुख सचिव पेयजल को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4–महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5– आयुक्त, कुमाऊ मण्डल।
6–जिलाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़।
7–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।
9–निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11–अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, सम्बन्धित जनपद।
12–अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, सम्बन्धित जनपद।
13–वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/वित्त बजट सैल।
14–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
उप सचिव